

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

बिरहीचन्द बनाम घमला व अन्य

155/21

क्रिम्स मुकदमा :- 88,188 राजा कानून अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 93 सन :- 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिप्रियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-12-21	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस लतब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक को पेश हो।</p>	<p>5510-14 16-12-21</p>
25.1.22	<p>अधिवक्ता वादी व वादी स्वतंत्र 3 पक्षों में है। नर बिबेन अमि के दे उमरा में कामे कोई कार्यवाही ही नहीं है वकील वादी के बिबेन पर वाद जोर डेह में जारी किया जाता है पत्रावली पत्रावली मुताब है मालूम के वाद ही व कार्यवाही पत्रावली है</p>	<p>25.1.22</p> <p>कामा बिबेन के खां डेह अमि बिरहीचन्द नसीराबाद</p>

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

